census from 1981 to 1991;

(b) if so, whether the Government are aware that the data paints a dismal picture as far as employment situation is concerned, with one-third of population—300 million items estimated to be without work; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) As per Census data the number of non-workers who had reported themselves as seeking/available for work was of the order of 10.5 million.

Investment of EPF in Private Sector

3541. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it has been decided to invest the Employees Provident Fund amount in the private sector, including the Mutual Funds etc.;

(b) whether there is a controversy in Government as well as opposition from . the employees in this regard; and

(c) if so, the present stand of Government thereon?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise

सांस्थानिक पुसेतकालयों के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय को भेजी गई आशुल लिपि से संबंधित पुस्तकें

3542. श्री महेश्वर सिंह: क्या श्रम मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वित्तीय सहायता से प्रकाशित दो महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिनके शीर्षक "आशलिपि हिन्दी शब्दकोष" और "आशलिपि विज्ञान का ऐतिहासिक, भाष-वैज्ञानिक एवं तुलनत्मक अध्यन" है, रोजगार और प्रशिक्षिण महानिदेशालय को भेजी गई थीं ताकि सांस्थानिक पुस्तकालयों के लिए उनकी संस्तुति की जा सके,

(ख) यदि हां, तो इन पुस्तकों की पुस्तकालयों के लिए संस्तुति न किए जाने के क्या कारण है,

(ख) यदि हां, तो इन पुस्तकों की पुस्तकालयों को लिए संस्तुति न किए जाने के क्या कारण है,

(ग) क्या उनके मंत्रालय का यह विचार है कि आशुलिपि जैसे कठिन विषय में पुस्तक के बिना भी विशेषज्ञता और कुशलता हासिल की जा सकती है, और

(घ) क्या सरकार इन पुस्तकों को संस्तुत करने पर विचार करेगी?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणायलम): (क) जी हां।

(ख) व्यवसाय पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के राज्य निदेशालय तथा फील्ड संस्थानों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आईटीसी) के प्रशक्षुओं को लिए पुस्तकें उपसुकेत नहीं पाई गई।

(ग) जी, नहीं।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा संस्तुत वहुत सी पुस्तकें व्यवसाय प्रशिक्षुओं के लिये उपलब्य है।

(घ) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के राज्य निदेशालयों/फील्ड संस्थानों के व्यवसाय विषेषज्ञों द्वारा इन पुस्तकों पर पहले ही विचार किया जा चुका है तथा उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के प्रशिक्षुयों हेतु उपयोगी नहीं पाया गया।

मध्य प्रदेश में बीडी मजदूरों की मजदूरी को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते से जोडा जाना

3543. डा. जगत्राथ मिश्र.

श्री अजीत जोगी:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की क्रपा करेंगे:

(क) क्या मध्य प्रदेश में बीडी मजदूरों की मजदूरी को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते से जोड़ने के कारण बीडी निर्माता अन्य राज्यों में अपना कारोबार बढा रहे हैं क्योंकि वहां बीडी श्रमिकों की मजदूरी दर कम है,

(ख) यदि हा, तो क्या बीडी मजदूरों हेतु कोई राष्ट्रीय वेतन नीति बनायी जाएगी,

(ग) इस समय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश उड़ीसा और बिहार में मजदूरी की तुलनात्मक दरें कितनी निधार्रित हैं,

(घ) क्या छोटी सिगरेटों से उत्पादन पर सरकार द्वारा करों में छूट दिए जाने के, परिणामस्वरुप मध्य प्रदेश में 100 वर्ष पुराना परम्परागत बीडी उद्योग प्रभावित हुआ है, और

(ड) यदि हां तो क्या सरकार छोटी सिगेरटों पर दी गई इस छूट को समाप्त करेगी ताकि यह सुनिधित किया जा सके कि बीडी श्रमिकों वाले इन कुटीर उद्योगों को कोई नुकसान न पहुंचे जिससे लगभग 20 लाख जरुरतमंदों को जोकिका प्राप्त होती है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार राज्यों में बीड़ी कर्मकारों, के संबंध में न्युनतम मजदूरी की तुलनालक दरें निम्नानुसार है-

मध्य प्रदेश 30.18 रु. प्रति हजार बीडियां (1.10.96से)

उत्तर प्रदेश 35.00 रु. प्रति हजार बीडियां (3.1.94 से)

उड़ीसा 30.00 रु. प्रति हजार बीडियां (15.8.96 से)

बिहार 30.50 रु. प्रति हजार बीडियां (29.12.95 से)

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अन्य राज्यों में बीडी कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, मध्य प्रदेश में बीडी कर्मकारों की मजदूरी की न्यूनतम दर के समान ही है।

(घ) और (ड) 1993-94 से बीडियों से एकत्र किय गये उत्पाद शुल्क को कम किए जाने से बीडियों के उत्पादन में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है।

(ड) बीडी श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना

3544. श्री गोविन्दराम मिरी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन बीडी श्रमिकों के लिए, जो भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, सामूहिक बीमा योजना शुरु की है जिसके अन्तर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को तीन से पच्चीस हजार रुपए तक की राशि का मुआवजा दिया जाता है।

(ख) क्या बीडी श्रमिकों को पहचान पत्र जारी न किए जाने के कारण ऐसे लाखों श्रमिकों को भारतीय जीवन बीमा निगम, कल्याण आयोग और श्रम मंत्रालय द्वारा जान बूझकर उपर्युक्त लाभ से वंचित रखा गया है और,

(ग) यदि हो, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

(ख) और (ग) जी, नहीं। वस्तुत: बीडी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 41 के अन्तर्गत बीडी कर्मकारों को परिचय पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व नियोजक का है। तथापि, चूंकि नियोजक आमतौर पर इस दायित्व को पुरा करने के लिए आगे नहीं आते हैं, इसलिए श्रम मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठनों ने प्राथमिकता आधार पर बीडी कर्मकारों को परिचम पत्र जारी करने का कार्य हाथ में लिया है और प्रत्येक औपधालय द्वारा 250 परिचम पत्र जारी करने का मासिक लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से कल्याण आयुक्त के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाने का भी अनुरोध किया गया है ताकि सभी बीडी कर्मकारों की ठीक ढंग से पहचान की जा सके और उन्हें समूह बीमा याजना एवं अन्य कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए परिचय पत्र जारी किया जा सके। इसके परिणआमस्वरुप, देश में अनुमानत:43.63 लाख बीड़ी कर्मकारों में से अब तर 32,92,974 बीड़ी कर्मकारों को परिचय पत्र जारी किए जा चुके हैं।

Action against Delhi-Based Japanese Companies to Enforce Labour laws

3545. SHRI MOOLCHAND MEENA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some of- the Delhi based Japanese Companies, including Sumitomo Corporation and the Mutsui Corporation are not paying minimum wages to Indian Security guards and office boys/ messengers employed by them;

(b) if so, the action taken against these companies to enforce the labour laws;

(c) whether the Japanese officers observe racial practice and discrimination against their Indian employees;